उत्तराखण्ड वन विकास निगम खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्त

रखडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी।
नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-

(i) नीलाम/निविदा– नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रूपया 11800.00 (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रूपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओ की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्तम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी।

3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

(Î) जी०एस०टी०एन० नम्बर (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iV) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।

4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लौट के वृक्षों का भली-भॉति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जायेगा।

5. (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।

(ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।

(iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेत् वन निगम स्वतंत्र होगा।

(İV) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।

नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।

7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।

8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा। 9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणो का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्रापट/पे–आर्डर RTGS/NEFT/E-Payment द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेत् अधिकतम रू० 3000/– नगद जमा हो सकते है।

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।

12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रू० 100/- के स्टाम्प पेपर में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगी।

13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनो के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरूद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षो का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कही भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छपे वृक्षो एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसक अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

15. लौट के क्रेता को वृक्षो का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करने इस से करना होगा ताकि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षति न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षो से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षो के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।

16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओ का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा। 18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लौट (जॉब) के सभी चिन्हित वृक्षो का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनो का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लौट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनो में भी क्रेता लौट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छपे वृक्षो एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

19. लौट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमो एवं प्रक्रियाओ का पालन करना होगा।

20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।

21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।

22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित **"क्षेत्रीय** प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम[®] पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी।

	1949	तूषा गण्णा 	म तिथि– 20-		्लालपु	जा । ७५। २७ २	<u></u>	
		रायव	न्टी पेड खतर	नाक खड़ ब	[क्षा का	नालाम		
क्र0 सं0	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन विभाग की लौट संख्या	वन् प्रभाग	राजि का नाम	लौगिंग प्रभाग का नाम	प्रजाति	कुल बृक्ष	अनुमानित आयतन (घ०मी०)
1	497/23-24	42/23-24	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	किशनपुर	पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग	यूकेलिप्टस	1	1.320
				an antipers				
	498/23-24	22/23-24	हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी	छकाता राजि	पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग	साल	3	3.351
						कन्जु	7	3.700
2						धौड़ी	1	0.085
						TOTAL	11	7.136
	499/23-24	41/23-24	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	गौला राजि	पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग	कन्जु	1	1.529
						हल्दू	1	1.067
3						TOTAL	2	2.596
	500/23-24	84/23-24	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	किशनपुर		शीशम	2	0.238
						बकैन	1	0.368
						कोकाट	3	0.482
						सागौन	52	11.864
4						अमलताश	5	0.198
						कन्जु	.1	1.161
						धौड़ी	1	0.085
						यूकेलिप्टस	4	4.631
						TOTAL	69	19.02

डिपो अधिकारी लालकुआं डिपो संख्या-1

		使用的思。	उत्तराखण्ड	वन विकास निगम,विपणन प्रभ	ाग,हल्द्वानी			i di diana
प्रका	छ विकय डिपो ल	गलकुआँ डिपो संव		नौगिंग प्रबन्धक,पश्चिमी हल्द्वानी सूची) दिनाक 20.09.2023	से प्राप्त खर	डे एंव खतर	नाक / बाधक वृक्ष	ों की विकय
क0 सं	ं० लौट सं०/ वर्ष	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन प्रमाग का नाम	कक्ष संख्या	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	आयतन सी० सी० एफ० (घ०मी०)	आयतन ठोस (घ०मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		268/23-24	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,रूद्रपुर	महतोष से मसीत, बेरिया चौकी गदरपुर रविवार बाजार, सकैनिया रोड एवं केलाखेडा स्टेट बैंक के सामने।	शीशम	14	7.0460	26.5870
					सागौन	5	1.0580	3.4930
					जामुन	8	1.2480	4.4200
	04/23-24				बबूल	1	0.5710	1.7130
					आम	3/5	0.3850	1.4900
					अर्जुन	19	4.1050	12.9280
					यूकेलिप्टस	2	5.6680	5.6680
stera.	Mar Hard		कुल योग		例例的	52	20.0810	56.2990
2	And Brid Ph	269/23-24	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,त्व्र्रपुर	लालकुआ–रूद्रपुर रेलवे लाईन के खतरनाक वृक्ष	शीशम	10	2.3050	7.8020
	23/23-24				सागौन	43	34.9100	69.2550
					सेमल	22	49.2410	80.0040
					गुटेल	55	19.5210	58.5640
					ढाक	6	4.2380	12.7140
					उदाला	14	0.1980	0.5950
					पौपलर	6	1.3794	1.3794
					यूकेलिप्टस	4	10.8860	10.8860
(A)/A		la di del marte	147	122.6784	241.1994			
3	84/23-24	270/23-24	तराई केन्द्रीय वन प्रमाग,रुद्रपुर	द्वारिकापुरी फंज–04 जगत बिहार वार्ड नं०–44 हल्द्वानी	जामुन	1	0.8570	2.5700
	n de la companya de l			0.8570	2.5700			
4	85/23-24	271/23-24	तराई केन्द्रीय वन प्रमाग,रुद्रपुर	देवलचौड खाम, गंगू दा ढाबा के सामने, रामपुर रोड हल्द्रानी	यूकेलिप्टस	2	4.8660	4.8660
		- 1000 Griene - 1209 Dia Science	2	4.8660	4.8660			
5	86/23-24	272/23-24	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,रूद्रपुर	ग्राम हरीनगर कमलुवागांजा रोड हल्द्वानी नैनीताल	यूकेलिप्टस	2	2.6930	2.6930
			कुल योग			2	2.6930	2.6930

डिपो अधिकारी लालकुआँ डिपो.04